

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

डब्ल्यू.पी. क्रमांक 312/2005

याचिकाकर्ता:

1. नंद किशोर द्विवेदी, पिता आर.डी. द्विवेदी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी शांति नगर, मकान क्रमांक. 510, वार्ड क्रमांक. 3, सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
2. सतीश पांडे, पिता ए.के. पांडे, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी विवेक नगर, रायगढ़ (छ.ग.)
3. श्रीमती कामायनी कश्यप, पति एस.के. कश्यप, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक. 15, नगर पालिका परिषद, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा।
4. श्रीमती नलिनी पांडे, पति आर.पी. पांडे, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक. 16, मकान क्रमांक. 317 विद्यानगर, बिलासपुर (छ.ग.)
5. मनिंद्र श्रीवास्तव, पिता शंकर लाल श्रीवास्तव, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. मनोज कुमार सिंह, पिता एन.एस.ठाकुर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी केशव सिंह मार्ग, कुदुदंड, बिलासपुर (छ.ग.)
7. रामायण प्रसाद आदित्य, पिता बी.पी.आदित्य, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनामउत्तरवादी :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा स्कूल विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा सचिव, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

492 001



3. श्रीमती जी.बामरा, कैडर उप प्राचार्य, जे.आर. दानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रायपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती साधना अग्रवाल, कैडर – व्याख्याता, शासकीय स्कूल, खैरागढ़।
5. हेमंत उपाध्याय, कैडर – प्राचार्य, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, एन.टी.पी.सी., जमनीपाली, जिला कोरबा (छ.ग.)
6. गेंद राम चंद्राकर, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)
7. घनश्याम नेताम, चयनित डाइट प्राचार्य, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सूरजपुर
8. अशोक भार्गव, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंदरी बिलासपुर (छ.ग.)
9. हेतराम सोनी, पिता देव सिंह सोनी उम्र-40 वर्ष, प्राचार्य शासकीय टी.डी.एस. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फिंगेश्वर, जिला रायपुर (छ.ग.) निवासी राजिम पथरा, जिला रायपुर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय

(डब्ल्यू.पी. संख्या 599/2005, 433/2005, 598/2005, 524/2005, 312/2005, 287/2005, 21/2005, 4192/2005 और 718/2005 में पारित सामान्य निर्णय।)

(मूल निर्णय डब्ल्यू.पी. संख्या 599/2005 में रखा जाएगा और अन्य मामलों में इसकी एक फोटोकॉपी रखी जाएगी।)

निर्णय

दिनांक 16-11-2005

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू.पी.क्र.599/2006

मोहनलाल जायसवाल एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005

दीपक दुबे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.598/2005

आलोक शर्मा एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.524/2005

राम निवास सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.312/2005

नंद किशोर व्दिवेदी एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.287/2005





नवीन किशोर प्रधान

बनाम

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.21/2005

श्रीमती. छाया तिवारी

बनाम

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.4192/2005

निर्मल कुमार अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डब्ल्यू.पी.क्र.718/2005

श्रीमती सुनीता साव

बनाम

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित:

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अविनाश कुमार मिश्रा, श्री शशि भूषण, श्री शुशांत तिवारी, प्रशांत तिवारी, डब्ल्यू.पी.क्र.21/2005 में अधिवक्ता।

श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री अफरोज खान, श्रीमती स्मिता घई, श्री अमित वर्मा, डब्ल्यू.पी.क्र.599/2005, डब्ल्यू.पी.क्र. 433/2005 और डब्ल्यू.पी.क्र.598/05 में अधिवक्ता।

श्री प्रीतिकर दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री वीरेंद्र शर्मा, भरत राजपूत, अनूप मजूमदार, कुणाल दास, डब्ल्यू.पी.क्र.312/2005 में अधिवक्ता।





श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता और श्री वी.सी. ओड्डलवार डब्ल्यू.पी.नं.524/2005 में अधिवक्ता।

श्री विष्णु कोष्टा, अधिवक्ता डब्ल्यू.पी.नं.4192/2005।

श्रीमती फ़ौजिया मिर्ज़ा और श्रीमती रीमा दुबे, डब्ल्यू.पी.क्र.718/2005 में अधिवक्ता।

श्री राघवेंद्र प्रधान और श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता डब्ल्यू.पी.नं.287/2005।

राज्य/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और निजी उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित:

श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री बी.डी.गुरु और श्री वाई.सी. शर्मा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री प्रतीक शर्मा, श्री एन.के. व्यास, श्री आर.के. केसरवानी निजी उत्तरवादीगण के लिए।

निर्णय

(16.11.2005)

सुनील कुमार सिन्हा, जे,

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो या तो असफल उम्मीदवार हैं या जिन्हें उपसंचालक, स्कूल शिक्षा; प्राचार्य (डाइट) और प्राध्यापक (शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग) के पदों पर चयन के लिए आयोजित साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है, ने उक्त पदों पर सफल उम्मीदवारों के चयन की वैधता और मान्यता को चुनौती दी है।
2. संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने रोजगार समाचार "रोजगार नियोजन" दिनांकित 09.7.2003 में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक. 05/2003/चयन/दिनांक 04.7.2003 जारी कर उपरोक्त 3 श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विज्ञापन में उपसंचालक के लिए छह पद, प्राचार्य (डाइट) के लिए दो पद और प्राध्यापक (शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग) के लिए दो पद विज्ञापित किए गए थे। उपसंचालक के छह पदों में से 3 पद सामान्य श्रेणी के लिए, एक पद अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित दिखाया गया। सामान्य श्रेणी के 3



पदों में से एक पद महिला श्रेणी के लिए आरक्षित दिखाया गया। प्राचार्य (डाइट) में एक पद सामान्य श्रेणी में तथा एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रखा गया। इसी प्रकार प्रोफेसर (शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग) में एक पद सामान्य श्रेणी में तथा एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित रखा गया। पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित कई अन्य शर्तें भी प्रकाशित की गई तथा आयु सीमा आदि के मानदंड भी प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही आयोग ने उक्त विज्ञापन के कॉलम 11 में चयन/भर्ती की पद्धति भी प्रकाशित की तथा उसमें उल्लेख किया गया कि यदि आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी एवं आयोग की राय में लिखित परीक्षा आवश्यक नहीं होगी तो पदों को आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से भरा जा सकेगा। परंतु, यदि आवेदन पत्रों की संख्या विज्ञापित पदों के अनुपात से अधिक होगी तथा आयोग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेना साध्य नहीं होगा तो आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को 1:3 के अनुपात में कम करने के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा।

3. इसके बाद "रोजगार नियोजन" दिनांकित 19.5.2004 में एक शुद्धिपत्र/परिशिष्ट दिनांकित 17.5.2004 प्रकाशित किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि संबंधित विभाग के ज्ञापन संख्या एफ-1-204/2003/20, दिनांकित 27.4.2004 के आधार पर उपसंचालक का एक अनारक्षित पद वापस लिया गया/घटाया गया तथा यह प्रकाशित किया गया कि अब उपसंचालक के 5 पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट कथन किया गया कि दो पद सामान्य श्रेणी के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।
4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद लोक सेवा आयोग ने दिनांक 08.10.2004 को अपनी बैठक में अभ्यर्थियों का चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से करने का निर्णय लिया। लोक सेवा आयोग की विवरणी के अनुसार, केवल साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय, यह पाते हुए लिया गया था कि आवेदनों की संख्या 500 से कम है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कार्ड भेजे गए तथा आयोग द्वारा दिनांक 03.01.2005 से 08.01.2005 तक साक्षात्कार आयोजित किए गए। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 17.1.2005 को परिणाम घोषित किए गए तथा उक्त परिणाम के अनुसार सिफारिश राज्य सरकार को भेजी गई। इसी समय, विभिन्न पदों के लिए प्रस्ताव देने वाले असफल अभ्यर्थियों ने विभिन्न रिट



याचिकाओं में लोक सेवा आयोग के दिनांक 17.1.2005 के परिणाम एवं चयन को चुनौती दी है।

5. डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 के याचिकाकर्ता दीपक दुबे उपसंचालक के साथ-साथ प्राचार्य (डाइट) के पद के लिए भी अभ्यर्थी थे। सामान्य श्रेणी में उपसंचालक का एक पद, जिसे वापस ले लिया गया था, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग का सहारा लिए बिना भर दिया गया तथा जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. हरे राम शर्मा (इस याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 3) को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी है कि चयन प्रक्रिया के दौरान एक पद वापस लेने के बाद उपसंचालक के पद पर उनकी सीधी भर्ती अनुचित है तथा यह **म.प्र.(छ.ग.) शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982** (इसके बाद "**नियम 1982**" के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उनका तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक. 3 के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया कानून की जानकारी में नहीं है, जो नियम 6 के प्रावधानों की उपेक्षा करती है। इस रिट याचिका में लिया गया दूसरा आधार उत्तरवादी क्र. 4 (श्रीमती आर. भामरा) के चयन के बारे में है, जिन्हें उपसंचालक के पद पर चुना गया है। यह तर्क दिया गया है कि उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की श्रेणी में महिलाओं की आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध चयनित दिखाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि उपसंचालक के तीन सामान्य श्रेणी के पदों में से सरकार द्वारा एक पद वापस लेने के बाद, लोक सेवा आयोग के पास उपसंचालक के केवल दो पद बचे थे और यदि आयोग ने आरक्षित पद के विरुद्ध एक महिला को नियुक्त किया है तो महिलाओं के लिए आरक्षण **म.प्र.(छ.ग.) सिविल सेवा (महिलाओं की हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997** (इसके बाद "**नियम 1997**" के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित आरक्षण सीमा, 30% से अधिक है। दलील यह है कि यदि उपलब्ध दो पदों में से सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए एक पद आरक्षित है, तो आरक्षण 50% हो जाता है जो 30% की स्वीकार्य सीमा से अधिक है और यह नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी दलील दी कि उत्तरवादी क्रमांक. 4 अनुभव के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि वह उप-प्राचार्य के रूप में काम कर रही थी जो एक प्रशासनिक पद नहीं होने के आधार पर विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने हेमंत उपाध्याय (उत्तरवादी क्र. 5) के चयन को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि वह नियम 1982 के नियम 8 के अनुसार विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि 01.01.2004 को उनकी आयु नियम के तहत निर्धारित 38 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा से अधिक थी। यह याचिकाकर्ता भी इस बात से व्यथित है कि प्रिंसिपल (डाइट) के पद के लिए



उनकी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं की गई। इस संबंध में, दलील यह है कि वह सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, इसलिए, उन्हें प्रिंसिपल (डाइट) के पद के लिए विचार करने से अवैध रूप से वंचित किया गया था।

6. डब्ल्यू.पी.क्र.312/2005 में याचिकाकर्ता 7 असफल उम्मीदवार हैं, जो संबंधित पदों के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए थे। वे मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार लेकर चयन की अपनाई गई पद्धति को चुनौती दे रहे हैं। उनका तर्क है कि विज्ञापन के कॉलम संख्या 11 के अनुसार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लोक सेवा आयोग एक लिखित परीक्षा और उसके बाद एक साक्षात्कार आयोजित करने और फिर दोनों में प्राप्त अंकों की गणना करने के लिए बाध्य था। वे यह भी तर्क देते हैं कि कम मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने श्रीमती आर भामरा (यहां उत्तरवादी क्र. 3) के चयन को अपेक्षित प्रशासनिक अनुभव के अभाव के आधार पर चुनौती दी है। उन्होंने साधना अग्रवाल (उत्तरवादी क्र.4) के चयन को भी अनुभव के अभाव के आधार पर चुनौती दी है, और हेमंत उपाध्याय (उत्तरवादी क्र.5) के चयन को भी चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे भी अनुभव की योग्यता में पिछड़ रहे थे। गेंद राम चंद्राकर (उत्तरवादी क्र.6) के चयन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य का उनका जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। उत्तरवादी क्र.7 घनश्याम नेताम के चयन को यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई है कि उनके पास आवश्यक बुनियादी अनुभव नहीं है।
7. डब्ल्यू.पी.क्र.599/2005, 4 असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर किया गया है, जिन्होंने साक्षात्कार में भी भाग लिया था। उन्होंने 1982 के उपरोक्त नियमों के नियम 6 के उल्लंघन के तहत डॉ. हरेराम शर्मा (उत्तरवादी क्रमांक 3) के चयन को चुनौती दी है। आर. भामरा (उत्तरवादी क्र. 4) के चयन को उन्हीं आधारों पर चुनौती दी है, जो डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 में लिए गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने श्री जी.आर. चंद्राकर (उत्तरवादी क्र. 5) के चयन को भी चुनौती दी है, जिन्हें उपसंचालक के पद के लिए ओ.बी.सी. श्रेणी में चुना गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चयन नियमों के विपरीत है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 5 नियमों और विज्ञापन के तहत आवश्यक प्रशासनिक अनुभव की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
8. डब्ल्यू.पी.क्र.524/2005 श्री राम निवास सिंह द्वारा दायर किया गया है, जो सामान्य श्रेणी में उपसंचालक के पद के लिए उम्मीदवार थे। वह साक्षात्कार में उपस्थित हुए और अंततः जब परिणाम घोषित हुए तो उनका नाम सामान्य सूची में दूसरे स्थान पर दिखाया गया,



लेकिन उन्हें पूरक सूची में क्रम संख्या 1 पर होना था, क्योंकि विज्ञापित छह पदों में से उनका चयन केवल पांच पदों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि एक पद सरकार द्वारा गलत तरीके से वापस ले लिया गया था और डॉ. हरेराम शर्मा को संविलियन करके भरा गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि सामान्य श्रेणी में तीन पद होते तो महिला आरक्षण के लिए एक पद छोड़ने के बाद भी पुरुष सामान्य उम्मीदवारों के लिए दो पद होते और याचिकाकर्ता मेरिट सूची में क्रम संख्या 2 पर होने के कारण चयनित हो जाता। वस्तुतः उत्तरवादी क्र.5 के चयन को उपरोक्त नियम 1982 के नियम 6 का उल्लंघन करते हुए चुनौती दी गई है और यह तर्क दिया गया है कि यदि उत्तरवादी क्र. 5 का चयन रद्द कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता सामान्य पुरुष श्रेणी की चयन सूची में क्रम संख्या 2 पर होने के कारण स्वतः ही चयनित हो जाएगा। इस याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया आदि को चुनौती नहीं दी है।

9. डब्ल्यू.पी.क्र.718/2005 श्रीमती सुनीता साव द्वारा दायर किया गया है, जो उपसंचालक के पद के लिए एक महिला उम्मीदवार थीं और साक्षात्कार में उपस्थित हुई थीं। प्रशासनिक अनुभव की कमी के आधार पर श्रीमती आर. भामरा (उत्तरवादी क्र. 2) के चयन को चुनौती देते हुए, इस याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त आधार भी लिया है कि वह श्रीमती आर. भामरा से अधिक योग्य होने के बावजूद लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं की गई और उनका नाम सामान्य महिला श्रेणी के प्रतीक्षा सूची में क्रमांक. 1 पर है। वह पूरे चयन को अभिखंडित करने की प्रार्थना करती हैं।
10. डब्ल्यू.पी.क्र.598/2005 और डब्ल्यू.पी.क्र.287/2005 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं जिन्होंने प्राचार्य (डाइट) के पद पर चयन के लिए साक्षात्कार में भाग लिया था। उन्होंने साधना अग्रवाल के चयन को चुनौती दी है जिन्हें चयनित घोषित किया गया है और साथ ही हेमंत उपाध्याय और प्रबोध अधिकारी के चयन को भी चुनौती दी है जिनके नाम सामान्य श्रेणी में प्राचार्य (डाइट) के पद के लिए तैयार की गई पूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) में क्रम संख्या 1 और 2 पर रखे गए हैं। उन्होंने यह आधार लिया है कि ये व्यक्ति इस पद के लिए आवश्यक अनुभव की अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं।
11. निर्मल कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति ने डब्ल्यू.पी.क्र.4192/2005 दायर की है, जो उपसंचालक के पद के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए थे। उन्होंने श्रीमती आर. भामरा और हेमंत उपाध्याय (उत्तरवादी क्रमांक. 4 और 5) के चयन को इस आधार पर चुनौती दी है कि चयन **अधिनियम क्र.5 सन् 1984 अर्थात् मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1984** के अनुसार होना था। दलील यह है कि उक्त अधिनियम के



प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और अंकों के आवंटन के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और यदि सही प्रक्रिया अपनाई गई होती, तो उत्तरवादी क्रमांक 4 और 5 के बजाय याचिकाकर्ता का चयन हो जाता।

12. श्रीमती छाया तिवारी ने डब्ल्यू.पी.क्र.21/2005 दायर कर दिनांक 07.12.2004 के संसूचना की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उपसंचालक, शिक्षा के पद के लिए उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वे नियमों के तहत विज्ञापन में प्रकाशित अनुभव के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। तथ्यतः उन्होंने विभिन्न आधारों पर अपने आवेदन पत्र की अस्वीकृति को चुनौती दी है।
13. लोक सेवा आयोग ने डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 में अपना जवाबदावा दाखिल किया है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन किया है और इसी जवाबदावा को सभी मामलों में जवाबदावा के रूप में माने जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने भी डब्ल्यू.पी.क्र.599/2005 में अपना जवाबदावा दाखिल किया है और लोक सेवा आयोग के तर्कों का लगभग समर्थन किया है। निजी उत्तरवादीगण ने अपने-अपने कुछ मामलों में अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन उनके द्वारा अपने चयन को उचित ठहराने के लिए लिया गया रुख सभी मामलों में एक जैसा है।
14. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सभी रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।
15. सबसे पहले, मैं डब्ल्यू.पी.क्र.4192/2005 पर विचार कर रहा हूँ। जैसा कि ऊपर बताया गया है, चयन को चुनौती देने वाली इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता उपसंचालक के पद के लिए उम्मीदवार थे। उन्होंने हेमंत उपाध्याय और श्रीमती आर. भामरा (उत्तरवादी क्रमांक 4 और 5) के चयन को इस आधार पर चुनौती दी है कि लोक सेवा आयोग ने **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 5, 1984)** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (vi) का संदर्भ देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 4 चयन द्वारा किसी सेवा या पद पर भर्ती के मामले में प्रक्रिया निर्धारित करती है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि उपर्युक्त उप-खंड में यह प्रावधान है कि यदि चयन केवल साक्षात्कार द्वारा होता है, तो उम्मीदवार के पिछले शैक्षणिक योग्यता को उचित श्रेय दिया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि अंक इस अधिनियम, 1984 में दर्शाए गए तरीके से आवंटित किए गए होते, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 4 और 5 के स्थान पर चुना गया होता, क्योंकि



याचिकाकर्ता के पास बेहतर शैक्षणिक योग्यता है, जिसके लिए उसे निजी उत्तरवादीगण की तुलना में बेहतर अंक आवंटित किए गए होते। इसके विपरीत, राज्य एवं लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ताओं ने **म.प्र.(छ.ग.) लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) निरसन अधिनियम, 1986 (अधिनियम क्र.19, 1986)** (म.प्र. विधि मैनुअल, द्वितीय संस्करण, खण्ड क्र.8, पृ.722 पर उपलब्ध) के प्रावधानों का हवाला दिया तथा निवेदन किया कि 26 मई 1986 को इस अधिनियम क्र.19, 1986 के प्रारम्भ होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 2 के आधार पर सम्पूर्ण अधिनियम क्र.5, 1984 अर्थात् **म.प्र.(छ.ग.) लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1984** निरसित कर दिया गया है। यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता निरसित अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अंकों के आवंटन का आधार नहीं ले सकता, इसलिए याचिका में कोई दम नहीं है तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए।

मैंने पुराने अधिनियम क्र.5, 1984 और नए अधिनियम क्र.19, 1986 के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। वास्तव में नए अधिनियम, जिसे 16 मई 1986 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और जिसकी स्वीकृति पहली बार 26 मई 1986 को म.प्र.(छ.ग.) राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई, ने 1984 के अधिनियम क्र.5 के संपूर्ण प्रावधानों को निरसित कर दिया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पारित और बंद किए गए लेन-देन को छोड़कर, निरसन के बाद एक संविधि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है जैसे कि वह कभी अधिनियमित नहीं हुआ था। (कृपया न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लिखित प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेच्यूटरी इंटरप्रिटेशन 6 वें संस्करण पृष्ठ 411 देखें)। इसलिए, निरसन अधिनियम, जिसे वास्तव में वर्ष 1986 में ही निरसित कर दिया गया है, के प्रावधानों के अनुसार उचित अंकों के आवंटन न करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। इस याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए, केवल इसी आधार पर याचिका संख्या 4192/2005 को खारिज किया जाता है।

16. डब्ल्यू.पी.क्र.21/2005 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता उपसंचालक के पद पर साक्षात्कार के लिए पूरी तरह से योग्य थी। उन्होंने दलील दी है कि लोक सेवा आयोग ने याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र को अपेक्षित अनुभव न होने के आधार पर खारिज करके त्रुटि कारित की है। दूसरी ओर लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने इसका खंडन किया और दलील दी कि आवेदन पत्र को खारिज करना उचित था। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया



गया कि उसने आयोग द्वारा अपेक्षित अनुभव के अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। उन्होंने विज्ञापन के कॉलम संख्या 2 (उपाबंध पी-2) के अनुभव खंड का उल्लेख किया और आगे कॉलम संख्या 9 का संदर्भ दिया तथा प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे, जो पात्रता और नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तों में से एक था, इसलिए आयोग द्वारा उनके आवेदन पत्र को सही रूप से खारिज कर दिया गया। मैंने दोनों अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। विज्ञापन (उपाबंध पी-2) के अनुसार एक आवश्यक आवश्यकता है कि उपसंचालक के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। कॉलम संख्या 9 में कहा गया है कि आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र अवश्य होने चाहिए और यदि निर्देशित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाएंगे, तो आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा और आयोग द्वारा इसके लिए कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संलग्न किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों का विवरण कॉलम संख्या 9 के विभिन्न उप-स्तंभों में दिया गया है, लेकिन इस कॉलम में किसी अनुभव प्रमाण-पत्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए यदि अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र (उपाबंध आर-3) के साथ संलग्न नहीं किया गया होता, तो आवेदन पत्र को अपूर्ण नहीं माना जाता और इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाता।

मैंने इस कॉलम के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है तथा याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र का भी अध्ययन किया है, जिसे आयोग द्वारा उपाबंध आर-3 के रूप में दाखिल किया गया है। निःसंदेह, आवेदन पत्र एक निर्धारित फॉर्म है, जिसमें अनेक कॉलम हैं। कॉलम संख्या 10 में शैक्षणिक योग्यताएं तथा कॉलम संख्या 11 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में की गई सेवाओं का विवरण है। यदि आवेदन पत्र किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाता है, जो किसी संस्थान में कार्यरत है, तो उसे इस कॉलम में निर्धारित सारणीबद्ध फॉर्म में विवरण प्रस्तुत करना होगा। सारणीबद्ध फॉर्म में प्रमाण पत्र संख्या का उल्लेख करने के लिए ऊर्ध्वाधर उप-कॉलम हैं तथा विशिष्ट निर्देश भी हैं कि शैक्षणिक योग्यता तथा सेवा अनुभव के समर्थन में अभ्यर्थी को तदनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। अतः विज्ञापन तथा आवेदन पत्र को संयुक्त रूप से पढ़ने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के समर्थन में विवरण तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यदि कोई आवेदन पत्र इन आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं यह



दृष्टिकोण इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि सेवा विवरण सहित इन विवरणों को पूछने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता के बारे में पता लगाना है और यह देखना है कि इन पदों के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर कम योग्यता वाला या अयोग्य व्यक्ति परीक्षा में शामिल न हो, जिससे आगे और जटिलताएँ पैदा हों। आवेदन पत्र की जांच जिम्मेदारी का काम है क्योंकि इससे उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी पात्रता दिखाने का पहला निहित अधिकार मिलता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र (उपाबंध आर-3) के अवलोकन से पता चलता है कि शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अनुभव के बारे में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित सभी कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें भरा नहीं गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र इस संबंध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अधूरा भेजा गया था और जब जांच के बाद आयोग द्वारा ऐसे फॉर्म को खारिज कर दिया गया है, तो इस न्यायालय की राय में, आयोग ने कोई गलती नहीं की है और आवेदन पत्र को खारिज करना तथा उपाबंध पी-1 के माध्यम से इसकी सूचना देना युक्तियुक्त और उचित है। मैं इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता हूँ। इसे, एतद्वारा खारिज किया जाना चाहिए।

17. अन्य रिट याचिकाओं संख्या 599/2005, 433/2005, 598/2005, 524/2005, 312/2005, 287/2005 तथा 718/2005 में लिए गए आधार समान स्वभाव के हैं तथा संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्कों में केवल निम्नलिखित सामान्य बिंदुओं पर जोर दिया तथा उन्हें उठाया:

- 1) क्या सरकार विज्ञापन के पश्चात एक पद वापस लेने में सक्षम थी तथा ऐसे पद के विरुद्ध डॉ. हरे राम शर्मा की नियुक्ति उचित तथा विधि के अनुसार थी तथा यदि उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है, तो श्री राम निवास सिंह (डब्ल्यू.पी.क्र.524/2005 में याचिकाकर्ता) को लाभ मिलेगा तथा उन्हें चयनित माना जाएगा?
- 2) क्या सामान्य श्रेणी में आरक्षित महिला पद के विरुद्ध श्रीमती आर. भामरा का चयन सरकार के महिला आरक्षण नियमों के विरुद्ध है तथा यह औचित्यहीन था?
- 3) क्या उप-प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद है तथा विज्ञापन के मानदण्डों के अनुसार उसके अनुभव को प्रशासनिक अनुभव माना जा सकता है?



- 4) क्या हेमंत उपाध्याय का चयन नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि यह नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आयु के प्रावधानों का उल्लंघन करता है?
- 5) क्या लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई चयन पद्धति अनुचित एवं अवैध थी तथा साक्षात्कार में कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है?
- 6) क्या प्राचार्य (डाइट) के पद पर साधना अग्रवाल, घनश्याम नेताम का चयन अवैध था, क्योंकि उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था?
- 7) क्या श्री गेंदराम चंद्राकर का चयन अनुचित था? तथा क्या प्राचार्य (डाइट) के पद के लिए डब्लू.पी.क्र.433/2005 में याचिकाकर्ता दीपक दुबे की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना औचित्यहीन था?
- 8) क्या हेमंत उपाध्याय एवं प्रबोध अधिकारी, जिनके नाम प्राचार्य (डाइट) की पूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) में क्रम संख्या 1 एवं 2 पर सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं, का चयन अवैध था, क्योंकि वे इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखते थे?

बिन्दु संख्या 1

18. इस बिन्दु के अन्तर्गत विचारणीय प्रथम प्रश्न उपसंचालक की श्रेणी में सरकार द्वारा एक पद वापस लिए जाने के सम्बन्ध में है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रथम बार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 04.7.2003 के विज्ञापन द्वारा उपसंचालक के छः पद विज्ञापित किये गये थे तथा इन छः पदों में से 3 पद सामान्य श्रेणी में रखे गये थे। तथापि, दिनांक 27.4.2004 के आदेश द्वारा सरकार द्वारा एक अनारक्षित पद वापस ले लिया गया/घटा दिया गया तथा दिनांक 17.5.2004 के शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया कि अब उपसंचालक के 5 पदों के लिए चयन किया जायेगा। स्वीकृत रूप से, यह शुद्धिपत्र रोजगार और नियोजन दिनांक 19.5.2004 के अंक में प्रकाशित किया गया। स्वीकृत रूप से, आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 3.01.2005 से 08.1.2005 के मध्य आयोजित किये गये थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपसंचालकों की सामान्य श्रेणी में चयन के लिए पदों की संख्या साक्षात्कार शुरू होने की तिथि से बहुत पहले घोषित की गई थी और शुद्धिपत्र के माध्यम से जनता को अवगत कराया गया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि उम्मीदवारों या याचिकाकर्ताओं को उनके साक्षात्कार से पहले इस तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी नहीं थी।



- 18.1. यद्यपि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकार पहले विज्ञापन के बाद पदों की संख्या कम करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि इसका उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, लेकिन कोई भी अधिवक्ता ऐसा कोई कानून नहीं बता सका जो सरकार को परीक्षा शुरू होने की तिथि से पहले विशिष्ट श्रेणी में पदों की संख्या को कम करने से रोक सके। यदि हम 4 जुलाई 2003 के विज्ञापन को देखें, तो इस विज्ञापन में ही इस आशय का समर्थन है कि विज्ञापन में दर्शाए गए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। जब किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जाने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रिया के संबंध में कानून मौन हो तथा सरकार द्वारा सामान्य रूप से कोई कार्रवाई की जाए तो उसकी निंदा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि यह मनमाना या मनमौजी न साबित हो जाए। सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रियागत निष्पक्षता मुख्य आवश्यकता है। यदि पदों की संख्या परीक्षा की तिथि के पश्चात अथवा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात अथवा परीक्षा की तिथि के बहुत निकट होने पर कम की जाती तो स्थिति भिन्न होती। वैसे भी, जहां तक अभ्यर्थियों का संबंध है, प्रतियोगी परीक्षा में पदों की संख्या की प्रासंगिकता केवल इस बात तक सीमित है कि अभ्यर्थी परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने के लिए स्वयं को तैयार करता है तथा उसमें आनुपातिक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखता है। यदि पदों की संख्या कम है तो प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है तथा यदि पदों की संख्या अधिक है तो प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। यहां वर्तमान मामले में, विज्ञापन की तिथि तथा साक्षात्कार की तिथि को ध्यान में रखते हुए, ये कारक अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों तिथियों के बीच लगभग साढ़े सात महीने का अंतराल है। साक्षात्कार की तिथि से साढ़े सात महीने पहले एक पद की कटौती के बारे में सूचना देने से उम्मीदवारों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, जहां तक परीक्षा की उनकी तैयारी का सवाल है। इसके अलावा, किसी भी याचिकाकर्ता ने परिणाम की घोषणा से पहले कोई रिट याचिका दायर करके सरकार की इस कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है। सभी याचिकाकर्ता जो उपसंचालक के पद के लिए उम्मीदवार थे, उन्होंने साक्षात्कार में उपस्थित होकर एक मौका लिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि 27.4.2004 को सरकार द्वारा पदों की संख्या कम कर दी गई है और मौका लेने के बाद जब वे असफल हो गए, तभी वे यह मुद्दा उठा रहे हैं और इस संबंध में राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं। मैं इस संबंध में दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं और तदनुसार मैं इसे यह कहते हुए खारिज करता हूं कि किसी आपात स्थिति में, सरकार पदों की संख्या कम करने में सक्षम थी,



बशर्ते कि इसकी आवश्यकता सद्भावनापूर्वक अपेक्षित हो और अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष हो और कार्रवाई मनमानी न हो। क्या ये सभी कारक वर्तमान मामले में मौजूद थे, इसकी बाद में जांच की जाएगी।

- 18.2. अब डॉ. हरे राम शर्मा की नियुक्ति के बारे में इस भाग के दूसरे प्रश्न पर आते हैं, डॉ. हरे राम शर्मा का नियुक्ति पत्र डब्लू.पी.क्र.524/2005 में उपाबंध पी-4 के रूप में दाखिल किया गया है। यह नियुक्ति पत्र उन्हें 22.9.2003 को जारी किया गया था। उपर्युक्त पत्र की विषय-वस्तु से ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. शर्मा, जो सहायक प्राध्यापक के मूल पद पर थे और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, को कुछ शर्तों के तहत शिक्षा उपसंचालक के रूप में संविलियन द्वारा नियुक्त किया गया था। यद्यपि उपसंचालक का एक पद 27.4.2004 को आयोग के दायरे से वापस ले लिया गया था, लेकिन श्री शर्मा की नियुक्ति 22.9.2003 को की गई थी, अर्थात् उक्त पद के वापस लिए जाने की तिथि से बहुत पहले। राज्य ने डब्लू.पी.क्र.599/2005 में दाखिल जवाबदावा के पैरा 11 के तहत स्वीकार किया है कि डॉ. शर्मा की नियुक्ति उसी पद पर की गई थी, जिसे दिनांक 27.4.2004 के झापन के तहत साशय आयोग के दायरे से वापस ले लिया गया था। 22.9.2003 को नियुक्ति पत्र जारी करने और लगभग 7 महीने बाद 27.4.2004 को लोक सेवा आयोग के दायरे से पद वापस लेने की स्थिति राज्य द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। न तो जवाबदावा में और न ही तर्कों में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता पद वापस लेने और उनके हाथ में उपलब्ध होने से पहले ही सरकार द्वारा नियुक्ति के इस आदेश को जारी करने के कार्य को उचित ठहरा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बनाम डॉ. के. कल्याण रमन और अन्य, एआईआर 1992 एससी 1806 के मामले में यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रियात्मक प्रक्रिया मुख्य आवश्यकता है। प्रशासनिक कार्रवाई में " उचित प्रक्रिया या निष्पक्ष प्रक्रिया " का पालन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अभिनिर्धारित किया है कि चयन समिति भी इस सिद्धांत का अपवाद नहीं हो सकती है और उसे बिना किसी बाहरी या अप्रासंगिक विचार के उचित रूप से निर्णय लेना चाहिए।

- 18.3. बहस के दौरान, सरकार की एक कार्यालय फाइल संख्या एफ-1/2004/2003/20 इस न्यायालय को दिखाई गई, जिससे पता चलता है कि 22.9.2003 को डॉ. शर्मा को नियुक्ति लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा में जारी की गई थी, जिसे लोक सेवा



आयोग ने 14 नवंबर 2003 के अपने पत्र के माध्यम से स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार स्थगित होने के बाद भी, सरकार द्वारा एक और अनुरोध किया गया और अंततः, सरकार ने 27.4.2004 को लोक सेवा आयोग के दायरे से एक पद वापस ले लिया। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि यह विशेष रूप से डॉ. एच.आर. शर्मा की पिछली नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए एक पद साशय वापस लिया गया था। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार ने 22.9.2003 को डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति को कैसे उचित ठहराया। इस न्यायालय की राय में, यह एक पद को वापस लेने और आगे श्री शर्मा की नियुक्ति के बारे में राज्य द्वारा की गई उपरोक्त प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कसौटी की पुष्टि नहीं करता है और मैं तदनुसार अपना मत रखता हूं। अब मैं नियुक्ति की वैधता के प्रश्न पर आता हूं। सरकार का तर्क है कि यह नियुक्ति संविलियन की विधि से की गई थी। श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 में उपस्थित होते हैं, का तर्क है कि इस पद पर नियुक्तियां ऊपर उल्लिखित 1982 के नियम 6 में निर्धारित किसी भी तरीके से की जानी चाहिए थी। उनका तर्क है कि नियम 6 में नियुक्ति के 3 तरीके निर्धारित हैं। एक सीधी भर्ती द्वारा, दूसरा पदोन्नति द्वारा और तीसरा स्थानांतरण द्वारा। उन्होंने आगे कहा कि इन प्रावधानों के साथ-साथ अनुसूची III में निहित प्रावधानों का अवलोकन करने से पता चलता है कि डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, डॉ. एच.आर. शर्मा की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र तिवारी ने कहा कि डॉ. शर्मा की नियुक्ति पूरी तरह से नियम 6 के उप-नियम (iv) के अंतर्गत की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उप-नियम (iv) के तहत संविलियन की विधि अपनाकर सीधे नियुक्त किया गया था और नियुक्ति किसी भी अवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है।

- 18.4. इन पदों पर नियुक्ति से संबंधित नियम ऊपर उल्लेखित 1982 के नियम हैं। ये नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए हैं। उपरोक्त नियमों का नियम 6 भर्ती की विधि से संबंधित है। नियम 6 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

(6) **भर्ती की पद्धति**, -- (i) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धति से की जाएगी, अर्थात्--



(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) अनुसूची IV के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निम्न पद/संवर्ग से उच्च पद/संवर्ग में म.प्र. शिक्षा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(ग) अनुसूची II के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट ऐसे संवर्ग/सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।

(ii) उपनियम (i) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अन्तर्गत भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची II में दर्शाये गये कर्तव्य पदों की संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली भर्ती की पद्धति या पद्धतियां, जिन्हें भर्ती की किसी विशेष अवधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

(iv) उपनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से उक्त उपनियमों में विनिर्दिष्ट विधियों के अलावा सेवा में भर्ती की ऐसी विधि अपना सकेगी, जैसी वह इस संबंध में जारी आदेश द्वारा विहित करे।

- 18.5. नियम 6 के उपनियम (iv) का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि उक्त पद पर भर्ती के संबंध में उपनियम (i) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से, उपरोक्त के अलावा भर्ती की ऐसी पद्धति अपना सकती है, जैसा कि वह इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निर्धारित करे। निस्संदेह, ये प्रावधान सरकार को उपनियम (i) के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अलावा अन्य तरीके से नियुक्ति करने का अधिकार और प्राधिकार देते हैं, लेकिन इस नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त यह है कि सरकार को यह राय बनानी होगी कि सेवा की ऐसी आवश्यकता है





जिसके लिए इस उपनियम के तहत अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। दूसरी शर्त यह है कि सरकार को भर्ती की ऐसी पद्धति अपनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसे वह अपनाना चाहती है और तीसरी यह है कि सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक ये तीन शर्तें पूरी नहीं होती हैं, सरकार द्वारा नियम 6 के उपनियम (1) में निर्धारित विधि के अलावा भर्ती की कोई अन्य विधि लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में सरकार सेवा की कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं दिखा सकी, जिस पर नियम 6 के उपनियम (i) के तहत निर्धारित विधि के अलावा कोई अन्य विधि तुरंत अपनाई जानी आवश्यक थी। यह नहीं दिखाया जा सका कि वास्तव में, नियुक्ति पत्र दिनांक 22.9.2003 जारी करने से पहले, सरकार ने यह राय बनाई थी कि सेवा की अनिवार्यता के आधार पर उपसंचालक का एक पद तुरंत भरा जाना आवश्यक है और इसके लिए नियम 6 के उपनियम (i) के तहत निर्धारित विधि के अलावा कोई अन्य विधि अपनाई जानी चाहिए। यहां तक कि सरकार यह भी नहीं दिखा सकी कि ऐसी विधि को अपनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, जिसे वर्तमान नियुक्ति के मामले में अपनाया गया है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के बारे में तर्क देकर उचित ठहराने की कोशिश की कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नियुक्ति से पहले अनुमोदन लिया जाना चाहिए, इसलिए सरकार बाद में अनुमोदन ले सकती है। नियम 6 के उपनियम (iv) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह उपनियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन भर्ती की एक विशेष पद्धति को अपनाने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाना था, न कि भर्ती के बारे में जैसा कि उत्तरवादी की ओर से तर्क दिया जा रहा है। यदि भर्ती की अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है तो निश्चित रूप से यह विधान-मंडल की ओर से एक संकेत है कि उम्मीदवार की भर्ती या नियुक्ति या चयन से पहले सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, नियुक्ति से पहले या नियुक्ति के बाद भी सरकार द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त करना नहीं दिखाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि उपनियम (iv) के तहत भर्ती के लिए शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती की पद्धति उस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, सरकार नियम (6) के उपनियम (iv) के



प्रावधानों के तहत जारी ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि लापरवाहीपूर्वक दिनांक 22.09.2003 को नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात, सरकार तथा निजी उत्तरवादी नियम 6 के उपनियम (iv) की सहायता ले रहे हैं तथा राज्य की कार्रवाई को इस उपनियम (iv) के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, न तो दिनांक 22.9.2003 का नियुक्ति पत्र तथा न ही इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई संविलियन की पूर्ण फाइल यह संकेत देती है कि राज्य की कार्रवाई नियम 6 के उपनियम (iv) के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करके की गई थी, जो कि उक्त नियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हैं।

- 18.6. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि संविलियन के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति दिनांक 06 जनवरी 1986 के परिपत्र के आधार पर की गई थी। मैंने उक्त परिपत्र का अध्ययन किया है। यह परिपत्र, वास्तव में, प्रतिनियुक्ति के प्रावधानों से संबंधित है तथा यह वर्तमान उत्तरवादी के मामले का समर्थन नहीं करेगा।

- 18.7. परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर सरकार पदों की संख्या कम करने में सक्षम थी, लेकिन वर्तमान मामले में, लोक सेवा आयोग के दायरे से एक पद कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं थी और यह कार्रवाई मनमानी थी। इसके अलावा, उक्त पद के विरुद्ध डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति की घोषणा न्यायोचित नहीं थी क्योंकि यह उक्त नियम 1982 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और मैं तदनुसार इसे रद्द करता हूँ।

- 18.8. अब बिंदु संख्या 1 के अंतर्गत अंतिम आधार पर आते हैं कि क्या डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने के बाद, डब्ल्यू.पी.क्र.524/2005 में याचिकाकर्ता श्री राम निवास सिंह को लाभ मिलेगा? इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने के बाद भी, इस याचिकाकर्ता को लाभ नहीं मिलेगा। कारण यह है कि डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति एक ऐसे पद के विरुद्ध की गई थी, जिसे आयोग के अधिकार क्षेत्र से 27.4.2004 को वापस ले लिया गया था, जो परीक्षा की तारीख से बहुत पहले की बात है और अंततः उपसंचालक के पद के लिए साक्षात्कार सामान्य श्रेणी में केवल दो पदों के लिए आयोजित किए गए थे। इसका मतलब यह है कि यह विशेष पद जिसके लिए डॉ. एच.आर. शर्मा को नियुक्त किया गया था, लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और भले ही उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया हो, यह लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, डॉ.



एच.आर. शर्मा की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप उक्त पद की चयन सूची में क्रम संख्या 2 के उपसंचालकों की पूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) में क्रमांक 1 में याचिकाकर्ता की स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, डॉ. एच.आर. शर्मा की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की सीमा तक डब्लू.पी.क्र.524/05 आंशिक रूप से सफल है।

बिंदु संख्या 2

19. निःसंदेह, श्रीमती आर. भामरा को सामान्य उम्मीदवारों की श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध उपसंचालक के पद पर चयनित दिखाया गया है। उनके चयन को ऐसे आरक्षण के आधार पर चुनौती दी गई है। दलील यह है कि ऊपर उल्लिखित 1997 के नियमों के अनुसार, 30% आरक्षण अनुमेय था और यदि सामान्य श्रेणी में दो पदों में से एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो यह 50% हो जाता है और यह इन नियमों का उल्लंघन है। यदि हम दिनांक 04.07.2003 के विज्ञापन को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब तीन पद सामान्य श्रेणी में उपलब्ध थे, तब एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। हालाँकि, जब 19.5.2004 को शुद्धिपत्र जारी किया गया और एक पद वापस लिया गया, तो शुद्धिपत्र में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि सामान्य श्रेणी से उक्त एक पद के वापस लेने के बाद, अब उपलब्ध कुल 5 पदों में से दो पद सामान्य श्रेणी के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध होंगे। शुद्धिपत्र में, हालाँकि विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों का विवरण दिया गया है, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है कि सामान्य श्रेणी में उपलब्ध इन दो पदों में से, एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा जैसा कि पहले विज्ञापन दिनांक 04.7.2003 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था। इस प्रकार, इन दो घोषणाओं, एक विज्ञापन में और दूसरी शुद्धिपत्र में, की तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि शुद्धिपत्र जारी होने के बाद सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए कोई पद आरक्षित नहीं रखा गया था, लेकिन अंततः पीएससी ने सामान्य उम्मीदवारों की महिला आरक्षित श्रेणी में श्रीमती आर. भामरा को चयनित घोषित किया। यदि हम 1997 के नियमों की जांच करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये नियम वर्ष 1997 में राज्य द्वारा तैयार किए गए थे। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान है कि किसी भी सेवा नियम में निहित



किसी भी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में, राज्य सेवा में सभी पदों में से 30% पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे और उक्त आरक्षण क्षैतिज के साथ-साथ ऊर्ध्वाधर भी होगा। इस नियम में एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है जो बताता है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए क्षैतिज के साथ-साथ ऊर्ध्वाधर आरक्षण का अर्थ सभी श्रेणियों में आरक्षण होगा, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य श्रेणी में। इसका अंततः अर्थ यह है कि सीधी भर्ती के मामले में, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणी में भी महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटें आरक्षित होंगी, फिर यह नियम 1997 के नियम 3 के तहत प्रदान की गई क्षैतिज और साथ ही ऊर्ध्वाधर आरक्षण की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस कानूनी स्थिति पर किसी भी पक्ष ने विवाद नहीं किया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में, विवाद इस तथ्य के इर्द-गिर्द आता है कि क्या श्रीमती भामरा का चयन केवल दो सामान्य पदों की उपलब्धता के कारण महिला अनारक्षित श्रेणी के पद के खिलाफ दिखाया जाना उचित है।

- 19.1. निजी उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दो का 30% 0.6 आएगा, जो निश्चित रूप से 0.5 से अधिक है, इसलिए, तर्क और सामान्य ज्ञान के आधार पर पूर्णांकन का नियम लागू किया जाना चाहिए और इसे 1 माना जाना चाहिए और इस अर्थ में, आयोग गलती में नहीं पड़ता है यदि उसने 1997 के नियमों के अनुसार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सिद्धांतों को लागू करते हुए एक पद को महिलाओं के लिए आरक्षित माना है। वह यू.पी. राज्य और अन्य- बनाम- पवन कुमार तिवारी और अन्य (2005) 2 एससीसी 10 और राजेश कुमार गुप्ता और अन्य- बनाम- यू.पी. राज्य और अन्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 2731 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हैं। पहले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि तर्क और सामान्य ज्ञान के आधार पर पूर्णांकन का नियम यह है कि यदि भाग आधा या अधिक है, तो इसका मूल्य 1 तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि भाग आधे से कम है तो इसके मूल्य को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ऐसे मामले पर विचार करते हुए जहां उम्मीदवारों की संख्या 93 थी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह नियम बनाया कि 46.5 के अंश को 47 अंक के बराबर पूर्णांकित किया जाना चाहिए न कि 46 अंक, जैसा कि उस मामले में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि रिक्तियों की कुल संख्या 93 थी और अपीलकर्ताओं द्वारा आरक्षण के आवंटन और गणना के परिणामस्वरूप आरक्षित सीटों की संख्या 47 होगी और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 46 सीटें ही उपलब्ध



रहेगी, जिसका अर्थ है कि आरक्षण 50% से अधिक होगा जो असंवैधानिक होगा। इस न्यायालय की राय में, उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम वर्तमान नियम पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त मामले में उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक थी और ऐसे मामले में पूर्णांकित करने का नियम लागू करना आरक्षण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी भी मौजूदा नियम का उल्लंघन नहीं था। वर्तमान मामले में, यदि हम 0.6 को 1 मानकर पूर्णांकन नियम को लागू करने की अनुमति देते हैं, तो निश्चित रूप से यह 1997 के नियमों का उल्लंघन होगा, क्योंकि उपर्युक्त नियम स्पष्ट रूप से केवल 30% की सीमा तक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान करते हैं, और इस वैधानिक आवश्यकता को तर्क और सामान्य ज्ञान के आधार पर पूर्णांकन नियम लागू करके प्रतिस्थापित या निराश नहीं किया जा सकता है। यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा। इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अलग है और निजी उत्तरवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- 19.2. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 14 के माध्यम से माना कि संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य सरकार को अनुच्छेद 15(1) में निहित निषेध के बावजूद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विशेष रूप से इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि 10 वर्ष से कम आयु की बड़ी संख्या में युवा लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता है और यह मानते हुए कि यह बेहतर होगा कि ऐसी युवा लड़कियों को महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाए, महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 50% पदों का आरक्षण उचित माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ निर्णय के फैसले की पुष्टि की और माना कि किया गया वर्गीकरण उचित था और इसे मनमाना या अनुच्छेद 14 के तहत प्रभावित नहीं कहा जा सकता। यह ऐसा निर्णय था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश के माध्यम से निर्णय लिया था कि चुने जाने वाले उम्मीदवारों में से 50% विज्ञान स्ट्रीम से और 50% कला स्ट्रीम से होंगे और इसके अलावा 50% महिला उम्मीदवार और 50% पुरुष उम्मीदवार होंगे। यह सरकार द्वारा बनाए गए किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन का मामला नहीं था, बल्कि यह मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का मामला था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने उचित बताया और किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान मामले में, सरकार ने स्वयं 30% की सीमा तक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तरीके से आरक्षण के लिए नियम बनाया था और



यदि सरकार या अधिकारियों की कोई कार्रवाई इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो कार्रवाई को उचित नहीं माना जा सकता है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उनके लिए सहायक नहीं है, विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब इस संबंध में नियम मौजूद हैं और नियमों में क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अनुमेय सीमाएं विशेष रूप से निर्धारित की गई हैं।

- 19.3. परिणामस्वरूप, श्रीमती का चयन आर. भामरा द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित पद के अंतर्गत दर्शाना उचित नहीं है, क्योंकि आयोग के पास सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए कोई आरक्षित पद उपलब्ध नहीं था और आयोग के पास उपलब्ध दो पदों को उनके स्वयं के शुद्धिपत्र दिनांक 17.5.2004 द्वारा घोषणा के अनुसार तथा उपरोक्त नियमों के अनुसार अनारक्षित सामान्य पद माना जाना था। ऐसे पद के विरुद्ध उनका चयन निरस्त किया जाता है।

बिंदु संख्या 3

20. अनेक याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आधार लिया गया है कि उप-प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद नहीं है, इसलिए उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को प्रशासनिक पक्ष में 3 वर्ष अपेक्षित अनुभव का दावा करते हुए उपसंचालक के पद पर चयन के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए। नियम 82 के नियम 8 में सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें दी गई हैं। नियम 8 के उप नियम (2) में शैक्षिक योग्यता के बारे में प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि अभ्यर्थियों के पास अनुसूची III में दर्शाई गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

- 20.1. अनुसूची III के अवलोकन से पता चलता है कि उपसंचालक के पद के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रशासन और शिक्षण में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष प्रशासनिक पक्ष में होना चाहिए, को उसमें निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अपेक्षित अनुभव के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 20.2. लोक सेवा आयोग द्वारा डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 में दाखिल जवाबदावा से पता चलता है कि जब आयोग ने दिनांक 17.10.2003 को पत्र भेजकर प्रशासनिक पदों के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा तो डी.पी.आई. (संचालक लोक शिक्षण) ने दिनांक 19.11.2003 को अपना जवाब (उपाबंध आर-2(2)) भेजा कि उप-प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद नहीं माना गया। जवाबदावा में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि शिक्षा विभाग से जुड़े कई पद जिन पर व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर थे या



अन्यथा, उन्होंने भी चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी पात्रता का दावा किया है तब आयोग ने पुनः दिनांक 27.7.2004 को राज्य सरकार को पत्र (उपाबंध आर-2(3)) भेजकर सहायक संचालक (अनौपचारिक शिक्षा), सहायक संचालक (प्रौढ़ शिक्षा), जिला परियोजना संगठक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), नवोदय विद्यालय के हाउस मास्टर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उपप्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक आदि कई पदों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी मांगी गयी है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 09.8.2004 को पत्र भेजकर (उपाबंध आर/2(4)) इस आशय की जानकारी दी उपाबंध आर-2(3) में उल्लिखित पद प्रशासनिक पद हैं। अतः राज्य सरकार का अंतिम तर्क यह है कि उप प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद है।

20.3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उप प्राचार्य का पद न तो संवर्गीय पद है और न ही यह प्रशासनिक पद हो सकता है, अतः उप प्राचार्य के रूप में अनुभव को उक्त पद की पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि जब निदेशालय के सहायक संचालक ने दिनांक 19.11.2003 के ज्ञापन के माध्यम से कहा था कि उप प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद नहीं होगा, तो सरकार का दिनांक 09.8.2004 का दूसरा पत्र जिसमें कहा गया था कि यह प्रशासनिक पद होगा, न्यायोचित नहीं था।

20.4. यदि हम 1982 के नियमों के प्रावधानों को देखें, तो अनुसूची में ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अध्यापन के अनुभव के बारे में संकेत दिया गया है, जिसमें से 3 वर्ष प्रशासनिक पक्ष में होना चाहिए। 'प्रशासनिक पक्ष' या 'प्रशासनिक अनुभव' या 'प्रशासनिक पद' शब्द नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वें संस्करण पृष्ठ 44) में, "प्रशासन" शब्द को "सरकार, संस्था या व्यवसाय के कार्यकारी कर्तव्यों का प्रबंधन या प्रदर्शन" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शब्द संज्ञा है और इस शब्द से निकला प्रशासनिक शब्द विशेषण है।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम (खंड II) में, जो कि **अर्नोल्ड ओ. गिनो और जॉर्ज जे. बैलफ** द्वारा विकसित अमेरिकी कानून का पुनर्कथन है, (दूसरा पुनर्मुद्रण-1987) शब्दों "प्रशासन" और "प्रशासनिक" को भी इस प्रकार कहा गया है:



प्रशासन

"जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, 'प्रशासन का अर्थ प्रबंधन, निर्देशन या पर्यवेक्षण है; और इसके व्यापक सामान्य अर्थ में इसे प्रशासन के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है; किसी कार्यालय, सेवा या रोजगार आदि का निर्देशन या निरीक्षण; किसी कार्यालय या रोजगार का प्रबंधन या संचालन; किसी संस्था, व्यवसाय, कंपनी या इसी प्रकार के कार्यकारी कर्तव्यों का निष्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रशासनिक

"इस शब्द की कोई सटीक और अपरिवर्तनीय परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और दी गई परिभाषा कभी-कभी वर्णन से अधिक कुछ नहीं होती।"

"प्रशासनिक" का अर्थ मंत्रिस्तरीय के रूप में परिभाषित किया गया है; प्रशासन से संबंधित या उससे संबंधित, विशेष रूप से प्रबंधन, जैसे कि व्यक्ति या चीजों के निष्पादन, आवेदन या आचरण का प्रबंधन या संचालन, निर्देशन या पर्यवेक्षण करना; प्रशासन से संबंधित, विशेष रूप से, कार्यकारी या मंत्रिस्तरीय कार्रवाई की प्रकृति का होना; और, जब विशेष रूप से सरकार से जुड़े आधिकारिक कर्तव्यों पर लागू किया जाता है, तो कार्यकारी, एक मंत्रिस्तरीय कर्तव्य; जिसमें कुछ भी विवेक पर नहीं छोड़ा जाता है। इस शब्द का अर्थ स्थायी मामलों से अलग दैनिक मामलों से संबंधित माना गया है; और जब सरकार की एजेंसियों पर लागू होता है जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को जोड़ती हैं, तो इसका अर्थ उन विवरणों को प्रशासित करना है जो विधायी प्रकृति के हो सकते हैं।"





(पृष्ठ संख्या 78 और 79 से केवल चयनित कथन उद्धृत किए गए हैं)

- 20.5. इसलिए, एक सामान्य अर्थ में, एक व्यक्ति जिसे किसी संस्था के प्रबंधन या कार्यकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन का काम सौंपा गया है, उसे प्रशासन का काम सौंपा गया माना जाएगा और उसे एक प्रशासनिक पद धारण करने के लिए नामित किया जाएगा।
- 20.6. मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता, जो सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन के लिए नियमों का एक संग्रह है, नियम 2 (दस) और 2 (ग्यारह) के तहत दो महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। नियम 2 (दस) में **संस्था प्रमुख** की परिभाषा दी गई है और नियम 2 (ग्यारह) में **संस्था** की परिभाषा दी गई है। हिंदी में परिभाषाएं इस प्रकार हैं:

"(दस) "संस्था प्रमुख" से तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो तत्समय संस्था का प्रशासनिक प्रभारी हो, भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाता है,

(ग्यारह) "संस्था" से तात्पर्य ऐसी शाला या अन्य शिक्षा संस्था से है, जो विभाग द्वारा चलाई जाती हो या मान्यता प्राप्त हो और जो (क) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या (ब) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्था में या (ग) किसी विशेष शाला के रूप में शिक्षण देती हो,

- 20.7. इन दोनों परिभाषाओं के अवलोकन से पता चलता है कि **संस्था प्रमुख** संस्था का प्रशासनिक प्रभारी होगा और उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। **संस्था** शब्द से पता चलता है कि इसका अर्थ विद्यालय या कोई अन्य शिक्षण संस्थान है जो विभाग द्वारा चलाया जाता है या जिसे विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, जैसा भी मामला हो, संस्था प्रमुख होगा और संस्था का प्रशासनिक प्रभारी भी होगा। इसलिए, प्रधानाचार्य को सौंपे गए कार्य की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर, उपरोक्त परिभाषा से यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह निश्चित रूप से अपनी संस्था में प्रशासनिक पद पर आसीन है। शिक्षा संहिता में उप-प्रधानाचार्य के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, व्यापक अर्थ में जब अवसर आता है, तो वह प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख के रूप में काम करता है और प्रधानाचार्य की सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है जो किसी भी वैधानिक प्रावधानों द्वारा निषिद्ध नहीं





हैं। उदाहरण के लिए, एक उप-प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में संस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, लेकिन वह वित्तीय या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है जो विशेष रूप से कुछ कानून के आधार पर या आवश्यक प्रत्यायोजन के आधार पर प्रधानाचार्य को प्रदान की गई हैं। यह दर्शाता है कि एक उप-प्रधानाचार्य हमेशा प्रशासन में शामिल होता है और प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और चरित्र लगभग वही है जो प्रधानाचार्य *संस्था प्रमुख* के रूप में करता है।

- 20.8. अतः मेरा यह मानना है कि उप प्राचार्य का कार्य प्रशासनिक पक्ष में किया जाने वाला कार्य है तथा केवल इसी उद्देश्य से इस पद को प्रशासनिक पद माना जाता है तथा याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि उप प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद नहीं है, स्वीकार नहीं किए जा सकते तथा तदनुसार उन्हें अस्वीकृत किया जाता है। जहां तक सहायक संचालक तथा उसके पश्चात सरकार द्वारा दो प्रकार के पत्र जारी करने के न्यायोचित्य के संबंध में तर्कों का संबंध है, सरकार द्वारा दिनांक 09.8.2004 को दिए गए उत्तरार्द्ध कथन को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के संबंध में परस्पर अभिव्यक्तियों/स्वीकृति में सरकार का निर्णय सरकार के अधीन कार्यरत प्राधिकरण अथवा निदेशालय के निर्णय पर प्रभावी होगा।

- 20.9. जहां तक उप प्राचार्य के पद के संवर्गीय पद नहीं होने के संबंध में तर्कों का संबंध है, वर्ष 1991 के नियम अर्थात् **म.प्र. स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) सेवा भारती नियम, 1991** जो डब्लू.पी.क्र.433/2005 के उपाबंध पी-15 में दाखिल किया गया है। संदर्भ योग्य है, इसके नियम 5 और 6 के अनुसार अनुसूची-1 को संलग्न किया गया है तथा अनुसूची में उल्लिखित पदों को वर्गीकृत पद घोषित किया गया है, जिसमें उप प्राचार्य का पद सम्मिलित है। यह नियम किसी विशेष प्रकार के संस्थान के लिए हो सकता है, लेकिन यह स्कूल शिक्षा विभाग में उप प्राचार्य के पद के अस्तित्व को दर्शाता है तथा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इस तर्क में कोई बल नहीं है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

- 20.10. तदनुसार, मैं यह मानता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने उप प्राचार्य के रूप में अपेक्षित अवधि तक कार्य किया है, जैसा कि पूर्वोक्त नियम 1982 की अनुसूची-III के अंतर्गत परिभाषित है,



उन्हें अनुभव तथा अपेक्षित योग्यता के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक पक्ष में कार्य करते हुए माना जाएगा।

बिंदु संख्या 4

21. श्री हेमंत उपाध्याय का चयन जिन्हें सामान्य श्रेणी में उपसंचालक के रूप में चुना गया है, को भी इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक थी, जैसा कि नियम 1982 के नियम 8 के उप-नियम (1)(सी)(आई) के तहत आवश्यक है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डब्लू.पी.क्र. 433/2005 में पृष्ठ संख्या 76 पर दायर नियमों की प्रति पर अवलंब लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असंशोधित नियम दायर किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1982 के नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

संशोधन

उक्त नियमों में उपनियम 8 के खण्ड (i) के पश्चात निम्नानुसार टिप्पणी जोड़ी जाए-

"टिप्पणी- जो अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग में स्थायी शिक्षक है, उसे अपनी आयु में से शासकीय संस्था में अध्यापन में बिताई गई कुल अवधि घटाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि परिणामी आयु पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक न हो।

(म.प्र. राजपत्र भाग IV (गैजेट) दिनांक 26.9.86 पृ. 192 में प्रकाशित)

- 21.1. यदि हम उपसंचालक के पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा दर्शाने वाली इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची को देखें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि अनुसूची-III में नियम 8 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा भी 40 वर्ष निर्धारित की गई है तथा विज्ञापन में भी यही निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी के जवाबदावा डब्लू.पी.क्र.433/2005 में प्रस्तुत किए गए मामले के पैरा 4 के अनुसार, उक्त उत्तरवादी की जन्म तिथि 30 जून 1964 है। इसलिए, इन नियमों के अनुसार, 01.01.2004 को उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि 01.01.2004 को उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी, इसलिए, इस आधार पर उसके चयन पर





आपत्ति नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क गलत हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बिन्दु संख्या 5

22. यह तर्क दिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई चयन पद्धति उचित नहीं थी, क्योंकि केवल साक्षात्कार लिए गए थे तथा साक्षात्कार में भी कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया। विज्ञापन के कॉलम संख्या 11 में चयन में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में बताया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी तथा आयोग की राय में लिखित परीक्षा आवश्यक नहीं होगी, तो पदों को आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर ही भरा जा सकता है। तथापि, यदि आवेदन पत्रों की संख्या विज्ञापित पद के अनुपात से अधिक होगी तथा आयोग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेना व्यावहारिक नहीं होगा, तो आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को 1:3 के अनुपात में कम करने के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा तथा चयन किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। विज्ञापन में यह कॉलम चयन की पद्धति के बारे में आयोग के स्पष्ट पूर्व-निर्धारण को दर्शाता है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लिखित परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब आयोग को अधिक संख्या में फॉर्म प्राप्त होंगे। आयोग के उत्तर से पता चलता है कि जब आयोग को प्राप्त फॉर्मों की संख्या कम पाई गई, तो इस संबंध में आयोग की एक बैठक 08.10.2004 को हुई और केवल साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक दिनांकित 08.10.2004 की कार्यवाही विवरण की प्रति डब्ल्यू.पी.क्र.433/2005 में उपाबंध आर-2/5 के रूप में दायर की गई है। कोई भी पक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली चयन पद्धति के संबंध में कोई कानून नहीं दिखा सका। इसलिए, केवल साक्षात्कार द्वारा चयन करने का निर्णय लेने के आयोग के कार्यवाही की जांच कॉलम संख्या 11 में उल्लिखित विज्ञापन की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। यह कॉलम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चयन के तरीके के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा प्रचलित तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा, विशेष रूप से फॉर्मों की संख्या के संदर्भ में और यदि आयोग ने अपनी बैठक दिनांक 08.10.2004 के माध्यम से कोई निर्णय लिया है, तो आयोग का कार्य कॉलम संख्या 11 के प्रावधानों के अनुसार माना जाना चाहिए। यह नहीं



कहा जा सकता है कि किसी अधिनियम या नियमों के आधार पर इस निर्णय को चुनौती दिए बिना आयोग द्वारा लिया गया ऐसा निर्णय अवैध या मनमाना है।

- 22.1. केवल साक्षात्कार आयोजित करने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की योग्यता की जांच करने के लिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय पर गौर करना चाहिए। लीला धर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1981) 4 एससीसी 159 में मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आम तौर पर, सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती है और यह न्यायालयों के लिए नहीं है कि वे चयन की उचित विधि और विभिन्न परीक्षणों से जुड़े सापेक्ष महत्व को फिर से निर्धारित करें, जब तक कि सिद्ध या स्पष्ट अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ अतिरंजित हेतुक न दिया गया हो। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ए. पेरियाकरुप्पन चेट्टियार बनाम तमिलनाडु राज्य (1971) 1 एससीसी 38 और अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी, (1981) 1 एससीसी 722 में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लिखित परीक्षा व्यक्ति की बुद्धि का आकलन करती है और साक्षात्कार व्यक्ति की खुद की परीक्षा लेता है और उचित चयन के लिए "दोनों को मिलना चाहिए"। लेकिन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से क्रमशः जुड़े सटीक महत्व के बारे में कोई नियम नहीं हो सकता है। यह सेवा की आवश्यकता के अनुसार सेवा दर सेवा भिन्न हो सकती है जिसके लिए भर्ती की जाती है, भर्ती के लिए उपलब्ध स्रोत-सामग्री, साक्षात्कार बोर्ड की संरचना और कई ऐसे कारक। किसी कॉलेज में प्रवेश के मामले में, जहां उम्मीदवार के व्यक्तित्व का अभी विकास होना है और उन व्यक्तिगत गुणों की पहचान करना बहुत जल्दी है, जिनके लिए बाद के जीवन में अधिक महत्व दिया जा सकता है, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, और वहां साक्षात्कार-परीक्षण को दिया जाने वाला महत्व न्यूनतम होना चाहिए। इसलिए, इस संबंध में पेरियाकरुप्पन और अजय हसिया मामलों में निर्णयों का अनुपात उन सेवाओं के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जिनके लिए भर्ती अनिवार्य रूप से परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से की जानी है। ऐसी सेवाओं में साक्षात्कार परीक्षा एकमात्र तरीका हो सकता है, जिसका आधार बुनियादी और आवश्यक शैक्षणिक और पेशेवर आवश्यकता की संतुष्टि हो। हालांकि, कई सेवाओं में जहां अच्छे चयन के लिए शैक्षणिक क्षमता के साथ व्यक्तित्व की संभावना को जोड़ना आवश्यक है, थोड़ा महत्व साक्षात्कार को देना आवश्यक है किंतु यह अधिक नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में आगे कहा कि साक्षात्कार परीक्षा में



अंक देने का तरीका एक प्रशासनिक कार्य है, जिसमें न्यायालयों को सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न मदों के अंतर्गत अलग-अलग अंक देने के किसी नियम के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक ही बार में अंक देने से साक्षात्कार परीक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी।

- 22.2. सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. केशव राम पाल बनाम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं अन्य (1986) 1 एससीसी 671 के मामले में पुनः इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि यदि चयन पद में शैक्षणिक उपलब्धियों, शिक्षण अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर अलग-अलग मदों के अंतर्गत अंक आवंटित नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे उप-विभाजन के अभाव में चयन मनमाना नहीं माना जाएगा।
- 22.3. यदि हम विभिन्न समय-बिंदुओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों के आलोक में वर्तमान मामले की जांच करें, तो सबसे पहले, प्रासंगिक कारक उस पद की प्रकृति होगी जिसके लिए चयन किया गया था। ये सभी पद अर्थात् उपसंचालक, प्राचार्य (डाइट) तथा प्राध्यापक (शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग) परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए हैं, क्योंकि उन्हें उच्च महत्व की शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना है, तथा प्रशासन का कार्य भी करना है, तथा इसी कारण से विधानमंडल ने अपने पूरे विवेक से इन पदों को नए अभ्यर्थियों से भरने के लिए नहीं रखा है, बल्कि दीर्घ अवधि के अनुभव तथा अन्य गुणों को अपेक्षित योग्यता के रूप में स्थापित किया है, तथा यदि चयन के ऐसे मामलों में आयोग ने केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अवैधानिक या मनमाना था। इस न्यायालय की राय में, चूंकि भर्ती अनिवार्य रूप से परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से ही की जानी है, इसलिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के स्थान पर साक्षात्कार परीक्षा का तरीका अपनाना सही था, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आवेदन पत्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। आयोग द्वारा की गई कार्रवाई न तो अन्यायपूर्ण है, न ही अनुचित है, न ही यह किसी अधिनियम या नियम के विरुद्ध है, न ही यह ऊपर उल्लिखित विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध है।
- 22.4. जहां तक कम मेधावी उम्मीदवारों के चयन के आधार का संबंध है, मैं चांसलर एवं अन्य बनाम डॉ. बिजयानंद कर एवं अन्य (1994) 1 एससीसी 169 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक अधिकारियों के निर्णयों में न्यायालयों को सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना



चाहिए। कोई उम्मीदवार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करता है या नहीं, यह मामला पूरी तरह से शैक्षणिक निकायों और संबंधित चयन समितियों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए, जिनमें अनिवार्य रूप से विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यहां भी, किसी भी याचिकाकर्ता ने चयन समिति के गठन को चुनौती नहीं दी है और न ही सदस्यों की विशेषज्ञता के संबंध में कोई आरोप है। आयोग ने कहा है कि बोर्ड में सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति, सेवानिवृत्त डीन और विभागाध्यक्ष, सेवानिवृत्त उप सचिव, स्कूल शिक्षा, पूर्व कुलपति, प्राचार्य, बीटीआई प्राचार्य और पूर्व अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, रेक्टर और अध्यक्ष, क्षेत्रीय शिक्षा और शोध विद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति ने साक्षात्कार लिया है। इसके अलावा, ये सभी बिंदु याचिकाकर्ताओं द्वारा साक्षात्कार में मौका मिलने के बाद उठाए जा रहे हैं।

22.5. तथ्यों और परिस्थितियों में, मुझे इस बिंदु के तहत याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में कोई सार नहीं दिखता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को सही माना जाता है।

बिन्दु क्रमांक 6 एवं 8

23. ये बिन्दु प्राचार्य (डाइट) के पद हेतु चयन सूची से संबंधित हैं। डब्लू.पी.क्र.598/2005 के तहत इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साधना अग्रवाल, घनश्याम नेताम, हेमंत उपाध्याय एवं प्रबोध अधिकारी के पास इस पद के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं था, इसलिए चयन अनुचित है। प्राचार्य (डाइट) के दो पद थे, एक सामान्य श्रेणी में तथा एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी में। साधना अग्रवाल का चयन सामान्य श्रेणी में तथा घनश्याम नेताम का चयन एस.टी. श्रेणी में हुआ है। अन्य दो शेष व्यक्तियों को पूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) में क्रम संख्या 1 एवं 2 के रूप में रखा गया है। प्रस्तुत किया गया है कि साधना अग्रवाल हाई स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्यरत थीं, न कि उच्चतर माध्यमिक शाला में, इसलिए उन्हें विज्ञापन के खण्ड 2 के मापदण्ड 1-केए(3) को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा। साधना अग्रवाल के प्रत्युत्तर पैरा 5 के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के बारे में दर्शाया गया है। उन्होंने अपने उत्तर में पैरा 5 में स्वीकार किया है कि वे, 1999 से 2003 तक हाई स्कूल में प्राचार्य थीं और यह तर्क दिया गया है कि विज्ञापन में प्रयुक्त शब्द "वरिष्ठ माध्यमिक शाला" का अर्थ "हाई स्कूल" है न कि "हायर सेकेंडरी स्कूल", इसलिए वे विचार किए जाने के योग्य थीं। मैंने इस बिंदु की सावधानीपूर्वक जांच की है। इस पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले



नियम म.प्र. स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 नामक नियम हैं। इन नियमों के नियम 8 में सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें दी गई हैं। नियम 8 के उप-नियम (ii) में शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में प्रावधान है और उसमें उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार के पास अनुसूची III में दर्शाई गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। अनुसूची III के अनुभव कॉलम में, खंड (iii) में "कम से कम 'उच्च' 'सीनियर' माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य या एई/एनएफई के परियोजना अधिकारी या महिला विकास या शिक्षण में जिला स्तरीय जिम्मेदारी या बी.एड./एम.एड. कक्षाओं को पढ़ाने के स्तर का शैक्षिक प्रशासन" का प्रावधान है। **माध्यमिक शिक्षा** शब्द को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के नियम 2 (ठ) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"(ठ) "माध्यमिक शिक्षा" से अभिप्रेत है ऐसी शिक्षा जो मिडिल स्कूल शिक्षा के प्रक्रम के ठीक पश्चात् आती हो और भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रित शिक्षा के प्रक्रम के ठीक पूर्व तक चलती हो, तथा उसमें विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित शिक्षा के प्रक्रम का वह भाग सम्मिलित है जिस तक कि इन्टरमीडिएट परीक्षा के नाम से ज्ञात परीक्षा धारा के अधीन निरस्त किये गये अधिनियम के अधीन स्थापित तथा गठित मण्डल द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व संचालित की जाती थी।"

- 23.1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. के विनियम 1965 भी उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है तथा अध्याय 1 में "हाई स्कूल तथा "हायर सेकेण्डरी स्कूल" और "प्रिंसिपल" शब्दों को विनियम 2(12), (13) एवं (15) के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:

(12) "हाई स्कूल" से तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक संस्थान से है जो बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने वाला महाविद्यालय नहीं है तथा ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।



(13) "हायर सेकेण्डरी स्कूल" से तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक संस्थान से है जो बोर्ड की हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करता है तथा ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(15) "प्रधानाचार्य" से तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या हायर सेकेण्डरी स्कूल या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बहुउद्देशीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक से है।

म.प्र. शिक्षा संहिता में, अनेक अन्य शब्दों के अतिरिक्त, "पूर्व प्राथमिक शाला", "प्राथमिक शाला", "पूर्व माध्यमिक शाला", और "उच्चतर माध्यमिक शाला" को भी इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"(बारह) पूर्व प्राथमिक शाला' से तात्पर्य ऐसी शाला से है, जहां सामान्यतया ऐसे बालक शिक्षा पाते हैं जिनकी आयु 2- 1/2 वर्ष से कम नहीं है और 6 वर्ष से अधिक नहीं है,

(तेरह) "प्राथमिक शाला" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जहां पांचवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती हो,

(चौदह) "पूर्व माध्यमिक शाला" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जो प्राथमिक शिक्षा स्तर के ठीक बाद और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर के ठीक पहले स्तर तक शिक्षा देती हो,

(पन्द्रह) उच्चतर माध्यमिक शाला" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जहां पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षा स्तर के ठीक बाद और विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित शिक्षा के ठीक पूर्व के स्तर की शिक्षा दी जाती है,"

- 23.2. इसलिए, सरकार ने अपने विवेक से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को, जो पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के आरंभ तक शिक्षा प्रदान करते हैं, निर्दिष्ट कक्षाओं तक शिक्षा प्रदान करने के उनके चरित्र के आधार पर इन पांच श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, जिन्हें प्री प्राइमरी स्कूल (पूर्व प्राथमिक शाला), प्राइमरी स्कूल (प्राथमिक शाला), मिडिल स्कूल (पूर्व माध्यमिक शाला), हाई स्कूल (माध्यमिक शाला) और हायर सेकंडरी स्कूल (उच्चतर माध्यमिक शाला) कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमों में दी गई





"हाई स्कूल" की परिभाषा से पता चलता है कि उन संस्थाओं में, अभ्यर्थियों को बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है और यह संस्था केवल ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है, जो उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तैयारी कराती है और उक्त संस्था ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। जहां तक विनियमन में प्रयुक्त "प्रधानाचार्य" शब्द का संबंध है, विनियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इसका अर्थ कॉलेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रधान होगा, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह सारी चर्चा यह दर्शाती है कि संस्था हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल दो अलग-अलग शैक्षणिक विद्यालयीय संस्थाएं हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के शिक्षण के संबंध में उनके गठन की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और हाई स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को, यद्यपि परिभाषित नहीं किया गया है, वर्तमान नियुक्ति के मामलों को नियंत्रित करने वाले इन नियमों 1991 के प्रयोजन के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के बराबर नहीं माना जा सकता या नहीं रखा जा सकता। इसलिए, मैं यह मानता हूं और निष्कर्ष निकालता हूं कि साधना अग्रवाल जो हाई स्कूल की प्रिंसिपल थीं, उनके पास प्रिंसिपल (डाइट) के पद के लिए उपरोक्त नियमों की अनुसूची III के अनुसार कोई अपेक्षित अनुभव नहीं था। उनकी नियुक्ति को अनुभव की कमी के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है।

- 23.3. जहां तक हेमंत उपाध्याय और प्रबोध अधिकारी का संबंध है, यह आधार लिया गया है कि उन दोनों के पास खंड 2 के पैरा 1(केए) के अनुसार अनुभव नहीं है। उनके पास अनुभव की कमी कैसे है, इसका याचिकाकर्ता द्वारा तर्क नहीं दिया गया है। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने उत्तर के पैरा 5 के माध्यम से तर्क दिया है कि वह प्रथम श्रेणी के साथ भूगोल में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ बी.एड. और एम.एड. भी किया है। उनके पास व्याख्याता के रूप में शिक्षण में 10 साल का अनुभव था। उन्होंने आगे दलील दी है कि उन्होंने 19.9.1997 से 2001 तक प्राचार्य के रूप में काम किया था। लेकिन, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए, इन दलीलों के अनुसार, इस न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि उनके पास वास्तव में इस पद के लिए अपेक्षित अनुभव था या नहीं।



- 23.4. जहां तक उत्तरवादी क्रमांक 5 अर्थात् प्रबोध अधिकारी का संबंध है, उन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में दलील नहीं दी है। उन्होंने अपने उत्तर के पैरा 5 के माध्यम से केवल यह बताया है कि उन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ बी.एड. और एम.एड. किया है और 13.8.1998 से 23.10.2001 तक व्याख्याता के रूप में काम किया है। हालांकि उन्होंने इस पैरा में "प्रिंसिपल" शब्द का उल्लेख किया है, लेकिन कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उनकी खुद की दलील दी गई योग्यता के आधार पर भी उनकी पात्रता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।
- 23.5. आरक्षित एस.टी. श्रेणी के विरुद्ध प्राचार्य (डाइट) के पद पर घनश्याम नेताम के चयन को भी अनुभव की कमी के आधार पर डब्लू.पी.क्र.312/2005 के पैरा 5.16 में चुनौती दी गई है। इस उत्तरवादी की ओर से अंतरिम आवेदन का जवाब दाखिल किया गया है, लेकिन उक्त जवाब में उन्होंने यह नहीं बताया है कि वे अनुभव आदि की अपेक्षित योग्यताएं किस प्रकार पूरी कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है और सुनवाई के समय उनकी पात्रता को दर्शाने वाले कोई तर्क पेश नहीं किए गए, इसलिए उनका मामला भी हेमंत उपाध्याय और प्रबोध अधिकारी के मामले जैसा ही है और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर भी उनकी पात्रता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि लोक सेवा आयोग ने भी इन उत्तरवादीगण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, चूंकि मामला बुनियादी वैधानिक योग्यता से संबंधित है और यह चयन की जड़ तक जाता है, इसलिए मैं आयोग को यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि वह उनके व्यक्तिगत मामले की पुनः जांच करके उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव की जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके पास 1991 के उपरोक्त नियमों की अनुसूची III के अनुसार बुनियादी वैधानिक योग्यता और अनुभव है या नहीं। चयन के बारे में उनका परिणाम आयोग द्वारा की गई जांच के अधीन होगा।

बिंदु क्रमांक 7

24. यह श्री गेंद राम चंद्राकर के चयन को चुनौती से संबंधित है जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उप संचालक के रूप में चुना गया है। वे डब्लू.पी.क्र.312/2005 में उत्तरवादी क्रमांक 6 हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी कानून के तहत आवश्यक जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया था और तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उन्हें पहले जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद वे क्रीमी



लेयर में होने के कारण ओबीसी श्रेणी में नहीं आते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी एक नया ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना इस उत्तरवादी की ओर से अनिवार्य था। इस उत्तरवादी ने अपना जवाबदावा दाखिल किया है और कहा है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय, उन्होंने अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 01.8.2003 का जाति और क्रीमी लेयर के संबंध में अनंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और बाद में साक्षात्कार के समय उन्होंने लोक सेवा आयोग को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो यह दर्शाता है कि वह ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित क्रीमी लेयर की स्थिति नहीं रखते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। उन्होंने इन दो दस्तावेजों की प्रतियां उपाबंध आर-6(1) और आर-6(2) के रूप में दायर की हैं। ये दोनों प्रमाण पत्र पेपर बुक के पेज क्रमांक 38 और 39 पर हैं। उपाबंध आर-6(1) दिनांक 01.8.2003 को अतिरिक्त तहसीलदार, रायपुर द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, राजस्व प्रकरण क्रमांक 435/बी/121, वर्ष 2002-2003 जो प्रमाणित करता है कि यह उत्तरवादी कुर्मी जाति से संबंधित है जो ओबीसी श्रेणी में आती है। अन्य दस्तावेज जो कि अनुविभागीय अधिकारी (नगर) रायपुर द्वारा जारी किया गया स्थायी प्रमाण पत्र है, राजस्व प्रकरण क्रमांक 935/बी/121/2004-2005 से यह भी पता चलता है कि वह कुर्मी जाति के हैं और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाता है। ये दोनों दस्तावेज छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन के बाद के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस जवाबदावा का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए, प्रस्तुत तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते और तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है। उनके चयन को डब्लू.पी.क्र.599/2005 में इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने सहायक संचालक के रूप में काम किया था। अपने जवाबदावा के उपाबंध-आर-5/1 के अनुसार उन्होंने अपने संपूर्ण सेवा करियर के बारे में दिखाया है। इस दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने 1 वर्ष, 4 माह और 29 दिन तक प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला के रूप में काम किया था और 2 वर्ष, 3 माह और 6 दिन बतौर जिला शिक्षा अधिकारी काम किया, ये दोनों ही प्रशासनिक पद हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य पदों पर भी काम किया है। इस आधार पर दिए गए तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते। इन आधारों पर उत्तरवादी क्रमांक 6 गैद राम चंद्राकर का चयन रद्द नहीं किया जा सकता।



- 24.1. याचिकाकर्ता दीपक दुबे को डब्लू.पी.क्र.433/2005 में प्रिंसिपल (डाइट) के पद के लिए उम्मीदवारी से इंकार करना अनुचित नहीं माना जा सकता। लोक सेवा आयोग का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य), बी.एड., ईएलटीआई (अंग्रेजी भाषा शिक्षण) में पीजी डिप्लोमा आदि दर्शाई है। इससे यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता एम.एड. नहीं है, जिसे नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता माना गया है। इस तर्क में कोई बल नहीं दिया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

परिणामस्वरूप,

- I. डब्लू.पी.क्र.21/2005 और डब्लू.पी.क्र.4192/2005 खारिज किए जाते हैं।
- II. डब्लू.पी.क्र.599/2005, 433/2005, 598/2005, 524/2005, 312/2005, 287/2005 तथा डब्लू.पी.क्र.718/2005 का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाता है:
 - 1) लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया और तरीका सही माना जाता है;
 - 2) नियुक्ति पत्र दिनांक 22.9.2003 के तहत डॉ. हरे राम शर्मा की नियुक्ति को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है;
 - II.1. तथापि, इस निरस्तीकरण के कारण डब्लू.पी.क्र.524/2005 के याचिकाकर्ता श्री राम निवास सिंह, जो उपसंचालकों की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर हैं, को स्वचालित रूप से क्रमांक 2 पर चयनित अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉ. हरे राम शर्मा द्वारा आसीन पद लोक सेवा आयोग के दायरे में नहीं था।
 - 3) श्रीमती आर. भामरा का चयन, जिसमें उन्हें सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित दिखाया गया था, सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षित पद न होने के कारण रद्द किया जाता है;
 - 4) आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह श्रीमती आर. भामरा तथा राम निवास सिंह के मामले को अन्य अभ्यर्थियों के साथ पारस्परिक गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए उपसंचालकों की सामान्य श्रेणी की चयन सूची को महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित न मानते हुए पुनः प्रकाशित करे।



- 5) प्राचार्य (डाइट) के पद पर साधना अग्रवाल का चयन रद्द किया जाता है।
- 6) प्राचार्य (डाइट) के पद पर श्री घनश्याम नेताम, श्री हेमंत उपाध्याय तथा श्री प्रबोध अधिकारी का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा उनके प्रपत्रों की संवीक्षा के अधीन होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास म.प्र. स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची-III के अनुसार मूलभूत वैधानिक योग्यताएं तथा अनुभव है अथवा नहीं। यह संवीक्षा इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में दिए गए विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय की सहायता लेते हुए, पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।
 - 6.1. यदि वे वैधानिक योग्यताएं और अनुभव पूर्ण करते हैं, तो उनका चयन वैध होगा अन्यथा उन्हें अचयनित माना जाएगा।
 - 6.2. संवीक्षा के पश्चात आयोग अपने समक्ष उपस्थित अभ्यर्थियों के समग्र परिणामों में से प्राचार्य (डाइट) की संशोधित चयन सूची पुनः प्रकाशित करेगा।
- 7) आयोग यह समस्त कार्य आज से 30 दिन की अवधि के भीतर करेगा तथा उपरोक्त निर्देशानुसार इन दोनों श्रेणियों में संशोधित परिणाम इस अवधि के भीतर प्रकाशित किया जाएगा।
- 8) उप संचालक के उस एक पद को भरने के बारे में, जिसे सरकार ने वापस ले लिया था, सरकार स्वतंत्र है कि वह पद लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से भरा जाएगा या नियमों के अनुसार किसी अन्य माध्यम से।
- 9) सभी रिट याचिकाओं में पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश निरस्त माना जाएगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

मूल निर्णय को डब्लू.पी.क्र.599/2005 में रखा जाएगा और इसकी एक प्रति अन्य मामलों में रखी जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shubhangi Sahu

